

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी-1914

दिनांक: 29/6/22

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर की मालवीय नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या-सी-73ए श्री रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री कीरतराम को आवंटन पत्र जारी किया गया था। श्री रमेश चन्द्र शर्मा की मृत्यु दिनांक 31.03.2009 मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। श्रीमती रामवती देवी पत्नी स्व. श्री रमेश चन्द्र शर्मा मृत्यु दिनांक 07.03.2010 मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। उनके वारिसों द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र (1) प्रियंका पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा अपना 1/4 हिस्सा अपने भाइयों को रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र (2) श्री राजेश शर्मा, (3) श्री योगेश शर्मा (4) श्री महेश शर्मा पुत्रान् स्व. श्री रमेश चन्द्र शर्मा को दिनांक 15.06.2022 को किया गया है। अब श्री राजेश शर्मा श्री योगेश शर्मा श्री महेश शर्मा पुत्रान् स्व. श्री रमेश चन्द्र शर्मा उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर नामहस्तान्तरण पत्र करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावे, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण पत्र जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

PRO/R-777
30/6/22

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 302 004
फोन : 0141-2573150 (0) 0141-2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/पी.आर.एन.(दक्षिण-प्रथम) 2022/डी-1230 दिनांक: 29.06.22

विज्ञप्ति

गुलाब बाडी भवन निर्माण सहकारी समिति की योजना राठी नगर के नियमन / भू- आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर .(दक्षिण-प्रथम),जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / संस्था को आपत्ती हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/ प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.सं	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी श्री तेजपाल सिहाग गुलाब बाडी भवन निर्माण सहकारी समिति की योजना राठी नगर	76	989.79 व.ग

u

उपायुक्त
जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण- प्रथम),
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि: -

1. विशेषाधिकारी .(जन - सम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को आज दिनांक को निर्धारित रोस्टर के अनुसारसामाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाये। उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन निर्धारित 8 फोन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावे

नोट - विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फोन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावे। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

u

उपायुक्त
जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण- प्रथम),
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-778
30.6.22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी- 1877

दिनांक:- 29/6/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	225	पत्रकार कॉलोनी (जविप्रा योजना)	श्रीमती कुसुम गुप्ता पत्नी श्री अशोक गुप्ता	श्री सुनील सिंह सिसोदिया पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह सिसोदिया	पंजीकृत इकरारनामा दिनांक 12.09.2006
2	सी-34	सचिवालय विहार स्कीम नम्बर-27 (बन्धु गृ.नि.स. समिति लि0)	श्रीमती नाजरीन खान पत्नी श्री मुस्ताक खान	श्री शैतान सिंह पुत्र श्री मानसिंह	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2022


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

PRGR-779
30/6/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-2649

दिनांक-29/6/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1	14/OH/S/395	12.50 व.मी.	श्रीमती गुडडी, छोटीलाल, सुरेश कुमार मीणा पुत्रान्/पत्नी स्व. श्री रामनारायण मीणा	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना
2	14/OH/325	50 व.मी.			
3	14/OH/336	100 व.मी.			
4	14/OH/73	1250 व.मी.			
5	14/OH/375	300 व.मी.			
6	14/OH/S/396	12.50 व.मी.			

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

21/2
उपायुक्त जोन-14
उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

21/2
उपायुक्त जोन-14
ज. वि. प्रा. जयपुर
उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PPR-780
30/6/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302004

दूरभाष - Direct Line-0141-2576296(O), EPBX- 0141-2569696 ,Ext: 8380, Fax- 0141-2574555, email : dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

E:\d drive\d drive RRS\zone-14\Assistant\Refund office order.doc

Page 280



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी- 1845

दिनांक :- 29/01/22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	108760	29	धर्मपार्क	श्री अजय पारीक पुत्र श्री सोहन लाल पारीक	श्री दीन दयाल अग्रवाल पुत्र श्री राम लक्ष्मण	अपंजीकृत इकरारनामा
2.	104123	33	गोपाल नगर ए	श्री वी. के. मरुहा पुत्र श्री रामलाल मरुहा	श्री वी. के. मरुहा पुत्र श्री रामलाल	डुप्लीकेट आवंटन पत्र जारी होने के कारण
3.	109577	12	प्रेम नगर	श्री सागर खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल	श्री मगन देवी पारीक पत्नी श्री गोपाल पारीक	समिति की सदस्यता सूची नाम अंकित नहीं होने के कारण
4.	109189	301	विवेक विहार	श्री राजेश कुमार बंसल पुत्र स्व. श्री किशन लाल	श्री किशन लाल पुत्र स्व. श्री कुन्दन मल एवं श्री राजेश बंसल व सुनील बंसल पुत्रान् श्री किशन लाल	मृत्यु प्रमाण पत्र व हक त्याग पत्र
5.	106811	सी-142	श्याम नगर	डॉ. गणतंत्र सी मेहता पुत्र चैनराज मेहता एवं श्रीमती महिमा मेहता पत्नी डॉ. गणतंत्र सी मेहता	श्रीमती सरोज जैन पत्नी श्री शिखर चन्द जैन एवं श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री अनिल जैन	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गुम होने के कारण
6.	106405	411	निर्माण नगर एबी	श्री उमेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री रामेश्वर शर्मा	श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा पत्नी श्री रामेश्वर शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत वसीयतनामा
7.	-	बी-55	श्याम नगर	श्री सुशील कुमार बाकलीवाल पुत्र श्री भागचन्द बाकलीवाल	श्री सुशील कुमार बाकलीवाल पुत्र श्री भागचन्द बाकलीवाल	जविप्रा से जारी पट्टा विलेख गुम होने के कारण

प्रतिलिपि:- 1845 29/01/22

उपायुक्त जोन-5

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-1299

दिनांक:- 30/6/2022

आमसूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2022 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. की योजना- शेखावत कॉलोनी के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है

क्र.सं	भूखण्डधारी का नाम	पिता/पति का नाम	भूखण्ड सुख्या
1	सरोज शर्मा	हरिशंकर शर्मा	54
2	निशी कँवर	दुर्गासिंह शेखावत	64
3	बीना देवी मीना	अमरसिंह मीना	144
4	राखी जैन	प्रेमसिंह	142
5	कमला देवी	राधेश्याम पारीक	62
6	रीटा अरोडा	स्व राजेन्द्र अरोडा	91
7	शुभाशिष पाल	स्व रतनचन्द्र पाल	15
8	रघुवर अवतार सिंह	विजयसिंह	40
9	जमना चन्दा	निरजन कुमार आर्य	70
10	शकुन्तला शर्मा	मदनलाल शर्मा	1(पूर्वी)
11	बंजरग लाल कुमावत	भौमाराम कुमावत	92
12	तीजा	रामलाल	45
13	कमला देवी	पुरणमल शर्मा	59
14	अनुराधा	अशोक कुमार	49
15	भारत शर्मा	मदनलाल शर्मा	25 एवं 1
16	गोपाल लाल जाट	लक्ष्मणराम जाट	51 (एस.पी)
17	श्रीमती कान्ता देवी	श्री नरपत सिंह	81
18	मोहनसिंह राठौड	भँवर सिंह राठौड	52 व 52ए
19	नानूराम जाखड	नून्दाराम	37
20	छोटूराम कुमावत	किशनाराम कुमावत	9
21	गजेन्द्र सिंह शेखावत	गजेन्द्र सिंह शेखावत	84
22	पवन मीना	मुनीम मीना	31. 32
23	ललितेश उपाध्याय	चन्द्रकांत उपाध्याय	31(एन.पी)
24	अनिता कँवर	श्री विजमन्त सिंह	32(दक्षिण)
25	महेन्द्र सिंह चौहान	विजयसिंह चौहान	132
26	रूपकँवर	गजेन्द्र सिंह राठौड	134
27	विमला कँवर	जगदीश सिंह	71(उत्तरी)
28	श्रीमती कयुम खातन	मोहम्मद हाफिज	118
29	अरुण कुमार जाखड	शिवबक्स जाखड	136(उत्तर)
30	सरिता देवी	जितेन्द्र कुमार शर्मा	33
31	अरुणा पालीवाल	गोविन्द नारायण पालीवाल	126
32	विजय सिंह	रामप्रकाश मीणा	138
33	सुमन कँवर	रूपसिंह राठौड	125
34	निर्मल देवी	मेवाराम	128
35	भँवरलाल जाखड	शिवबक्स जाट	89

रामकिशोरव्यासभवन, इन्दिरासर्किल, जवाहरलालनेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष (0141-2560165) : ईपीबीएक्स-0141-2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141-257455



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

36	अरुण कुमार जाखड़	शिवबक्स जाखड़	136
37	ताराचन्द्र	रामचन्द्र	116
38	विमला चौहान	महेन्द्र सिंह चौहान	131
39	कृष्णा देवी	सुवालाल मीना	143
40	नोरती सैनी	घासीराम	127
41	हरदेव कुमावत	तेजाराम कुमावत	129
42	कमलेश कँवर	विनय बहादुर सिंह	7
43	संतोष कँवर	चैनयिसंह	46
44	भगवती प्रसाद मिश्रा	श्री प्यारेलाल मिश्रा	75
45	सुरेन्द्र सिंह	नाथूसिंह	133
46	सुधा एल	राजेन्द्र पिल्लई	41
47	मोहनलाल जाट	लक्ष्मण राम जाट	51(एन.पी)
48	संतोष देवी शर्मा	नरेन्द्र कुमार शर्मा	124

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।


उपायुक्तजोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्यो हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापित को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर


PRO R-784
30/6/22

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-

दिनांक:-

आमसूचना

रामकिशोरव्यासभवन, इन्दिरासर्किल, जवाहरलालनेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष (0141-2560165) : ईपीबीएक्स-0141-2569696, एक्सटेंशन : 8240 फ़ैक्स : 91+141-257455



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-1287

दिनांक 29/6/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती कमलेश चौहान द्वारा भूखण्ड संख्या 83 स्कीम नं. 16 ए गिरनार कालोनी का पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड का भू आवंटन पत्र श्री के.एस. चौहान को जारी किया गया था। प्रार्थिया द्वारा श्री के.एस. चौहान का राशन कार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/पट्टा जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी-एसएफ- 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

Sd/-
उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि: जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

[Signature]
उपायुक्त जोन-7 जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

*RO/R-782
30.6.22*



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 1272

दिनांक:- 27/6/2022

आमसूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2022 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित मित्र गृ.नि.स.स. की योजना-मैसी एन्कलेव के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है

क्र.सं	भूखण्डधारी का नाम	पिता/पति का नाम	भूखण्ड सुख्या
1	गोपाल लाल साहू	स्व0 श्री रामनारायण साहू	28 (ई.पी.)
2	अनिता देवी	गिर्राज साहू	28 (डबल्यू.पी.)
3	दुर्गा देवी	जगदीश प्रसाद कुमावत	32
4	सुशीला चौधरी	दिनेश कुमार	23
5	मनभर देवी	कुन्दन मल कुमावत	33
6	मीरा शर्मा	दिनेश शर्मा	11
7	प्रज्ञा रश्मि	योगेन्द्र कुमार कुमावत	30
8	गोविन्द शर्मा	जगमोहन शर्मा	36
9	निर्मला देवी अग्रवाल	डी.आर अग्रवाल	34
10	मेनिका देवी कुमावत	सीताराम कुमावत	29

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्तजोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्यो हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

परी R-793
30/6/22

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101936 / 13758

DATED- 29-6-2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक बाबूलाल पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5, रामचरण पुत्र कल्याण हि. 1/5, रामनिवास पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5, शंकर पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5, श्याम बिहारी पुत्र कृष्णगोपाल हिस्सा 1/5 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा.नगरियावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

अर्थात:-

जिले सहित ग्राम, तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-मुरलीपुरा तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	बाबूलाल पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5 रामचरण पुत्र कल्याण हि. 1/5 रामनिवास पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5 शंकर पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5 श्याम बिहारी पुत्र कृष्णगोपाल हिस्सा 1/5 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा.नगरियावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर	40	0.6300
	कुल	कुल किता 1	कुल रकबा 0.6300 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है। और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29-6-22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जविप्रा, जयपुर

29/6/22
775

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101676

/ 3757

DATED- 29-6-2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक बाबूलाल पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5, रामचरण पुत्र कल्याण हि. 1/5, रामनिवास पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5, शंकर पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5, श्याम बिहारी पुत्र कृष्णगोपाल हिस्सा 1/5 जाति बागडा ब्राह्मण सा.नगरियावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

अर्थात:-

जिले सहित ग्राम, तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-मुरलीपुरा तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	बाबूलाल पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5 रामचरण पुत्र कल्याण हि. 1/5 रामनिवास पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5 शंकर पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5 श्याम बिहारी पुत्र कृष्णगोपाल हिस्सा 1/5 जाति बागडा ब्राह्मण सा.नगरियावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर	360	0.5200
	कुल	कुल किता 1	कुल रकबा 0.5200 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है। और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29/6 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
जविप्रा, जयपुर

PROJ R-776
30/6/22